रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2005/आषाढ़ 30, 1927
No. 321] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2005/ASADHA 30, 1927

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 493(अ).—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खतरनाक सूक्ष्म जीवों/आनुवंशिक रूप से निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, प्रयोग, आयात, निर्यात और भण्डारण के नियमों, जिन्हें 5 दिसम्बर, 1989 को प्रकाशित किया गया था, में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः :—

1. (1) इन नियमों को खतरनाक सूक्ष्म जीव/आनुवंशिक रूप से निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, प्रयोग, आयात, निर्यात और भण्डारण (संशोधित) नियमावली, 2005 कहा जाएगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. खतरनाक सूक्ष्म जीवों/आनुवंशिक रूप से निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, प्रयोग, आयात, निर्यात और भण्डारण की नियमावली में,

(क) नियम (i) के उप-नियम (i) में,

(i) "के लिए नियमों" शब्दों को हटा दिया जाए;

(ii) "या कोशिकाओं" शब्दों के पश्चात् "नियमावली, 1989" शब्द और आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएं।

(ख) नियम 4 के उपनियम (4) में खण्ड (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, नामतः :—

"(i) (क) अध्यक्ष—विशेष सचिव अथवा अपर सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

(ख) सहायक अध्यक्ष—जैव-प्रौद्योगिकी विभाग का प्रतिनिधि

(ग) उपाध्यक्ष—सी एस डिवीजन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संयुक्त सचिव।"

[फा. सं. 1(20)/90-सी एस]
देश दीपक वर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम दिनांक 5-12-1989 की सं. सा.का.नि. 1037(अ) के अन्तर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे जो दिनांक 13 सितम्बर, 1993 की अधिसूचना संख्या का.आ. 677(अ) के तहत लागू किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2005

G.S.R. 493(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Rules for the Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro-organisms/Genetically Engineered Organisms or Cells, which were published on 5th December, 1989, namely :—

1. (1) These rules may be called the Rules for the Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro-organisms/Genetically Engineered Organisms or Cells (Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Rules for Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro-organisms/Genetically Engineered Organisms or Cells,

(a) in rule 1, in sub-rule (1),

(i) the words "the Rules for" shall be omitted;

(ii) after the words "or cells", the word and figures "Rules, 1989" shall be inserted.

(b) in rule 4, in sub-rule (4), for clause (i) and entries relating thereto, the following clause and entries shall be substituted, namely :—

"(i) (a) Chairman—Special Secretary or Additional Secretary, Ministry of Environment and Forests.

(b) Co-Chairman—Representative of Department of Biotechnology,

(c) Vice-Chairman—Joint Secretary in charge of CS Division, Ministry of Environment and Forests."

[F. No. 1(20)/90-CS]
DESH DEEPAK VERMA, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 1037(E) dated 5-12-1989, which came into force *vide* notification number S.O. 677(E) dated 13th September, 1993.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.